भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 475

दिनांक 22.07.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन की विशेषताएं और उद्देश्य

475. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री जी सेल्वम:
श्री अरविंद सावंत:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन से मात्र 22 महीनों में घरों में नल का कनेक्शन प्राप्त हो रहा है और आकांक्षी जिलों में नल जलापूर्ति चार गुना बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर ऐसे कवर किए गए जिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन जिलों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में सभी घरों को प्राथमिकता के आधार पर नल से जलापूर्ति करने के लिए सरकार ने राज्यों से कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) जेजेएम की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और आरंभ से इसकी उपलब्धियां क्या रही है; और

(च) जेजेएम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): दिनांक 15.08.2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारम्भ के समय, 117 आकांक्षा जिलों में कुल 3.31 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 31.11लाख (9.4 प्रतिशत)

परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे जो जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब बढ़कर 1.09 करोड़ (33.85 प्रतिशत) हो गए हैं।

(ग) और (घ): जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए कार्य संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राथमिक आधार पर जलापूर्ति कार्य करने और परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कतिपय दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की गई है। जिनमें अन्यों के साथ-साथ आकांक्षा जिले और एससी/एसटी बहुलता वाले गांव भी शामिल हैं चूँकि राज्य सरकारों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, अनुमोदन देने और क्रियान्वयन करने के अधिकार हैं अत: उनसे आकांक्षा जिलों और एससी/एसटी बहुलता वाले गांवों को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों के साथ इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

(ङ): जल जीवन मिशन (जेजेएम) की मुख्य विशेषताओं में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति तथा निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचएचटीसी) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना है। 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, देश में कुल 18.94 करोड़ ग्रामीण परिवारों में 3.23 (17 प्रतिशत) करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से 4.52 करोड़ (23.84 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार आज की तारीख के अनुसार, 7.76 करोड़ (40.89 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है।

(च): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक रूप से निधियों का आबंटन किया जाता है जो कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए), भारत सरकार की अध्यक्षता में प्रत्येक परिवार को पीने योग्य पानी की नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले विभिन्न नवाचारों और जल संबंधी नई प्रौद्योगिकियों की जांच और सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग राज्यों को उनके द्वारा यथा अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

***